

भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय संचार ब्यूरो
सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

फा. सं. सीओ(एवी)/एमएसओ पैनल./2023-24/एवी-टीवी

दिनांक 06 अप्रैल 2026

परामर्शिका

विषय: मल्टी-सर्विस ऑपरेटर्स (एम एस ओ) की पैनलबद्धता के संबंध में।

अदिनांक तक सीबीसी में पैनलबद्ध मल्टी-सर्विस ऑपरेटर्स (एम एस ओ) की सूची निम्नवत हैं:-

क्रम सं.	एजेंसी का नाम	राज्य	एमएसओ कोड	कुल चैनल
1.	हैथवे डिजिटल लिमिटेड	महाराष्ट्र	0001	67
2.	एशियानेट डिजिटल नेटवर्क प्रा. लि.	केरल	0002	09
3.	यूसीएन केबल नेटवर्क प्रा. लि.	महाराष्ट्र	0003	27
4.	केरल कम्यूनिकेटर्स केबल लि.	केरल	0004	09
5.	डीइएन नेटवर्क लिमिटेड	दिल्ली	0005	51
6.	हिंदुजा ग्लोबल सोल्यूशन्स लिमिटेड	महाराष्ट्र	0006	11
7.	जीटीपीएल हैथवे लिमिटेड	गुजरात	0007	83
8.	एसआईटीआई नेटवर्क्स लिमिटेड	उत्तर प्रदेश	0008	24
9.	इंडियन केबल नेट कम्पनी लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	0009	23

शुद्ध दर : ₹ 289/- प्रति 10 सेकेण्ड स्पॉट + जीएसटी


सभी टाइम बैंड के लिए लागू : प्रातः 7:00 बजे - प्रातः 9:00 बजे, प्रातः 9:00 बजे - दोपहर 12:00 बजे,
दोपहर 12:00 बजे - सांय 7:00 बजे, सांय 7:00 बजे - सांय 8:00 बजे, सांय 8:00 बजे - रात्रि 10:00 बजे,
रात्रि 10:00 बजे - रात्रि 11:00 बजे

- प्रत्येक श्रेणी के तहत चैनलों की विस्तृत सूची अनुलग्नक - 1 में संलग्न है।

नियम एवं शर्तें

1. सीबीसी में पैनलबद्धता दिनांक 10.10.2027 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वैध होगी।
2. परामर्शिका सं. फा. सं. सीओ(एवी)/एमएसओ पैनल./2023-24/एवी-टीवी दिनांकित 18.12.2023 के माध्यम से अधिसूचित नीति दिशानिर्देशों में उल्लिखित सभी नियम एवं शर्तें लागू होंगी।

भवदीय,



(सत्ती किशोर कुमार)
निदेशक (एवी)
केंद्रीय संचार ब्यूरो